ज्ञापांकः—15 / डी0 एल0 ए0—कैमूर (पहुँच पथ)—03 / 13.......-2974.......... / रा0

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिसूचना

पटना, दिनांक....18.12.13../

संख्याः-

रा०-चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गॉव **धिनहुपट्टी** परगना- **चैनपुर**.थाना नं०- 82 थाना-**मोहनियां** अंचल **दुर्गावती** जिला-**कैमूर** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात- **सम्पर्क सड़क** निर्माण के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित हैं, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गॉव-**धिनहुपट्टी** थाना नं०–82 के भीतर भूकि का एक टुकड़ा अपेक्षित, जो मानक माप के कम-वेश- 0.3037 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है- **अंश खेसरा नं0 153, 154, 158, 159, 160, 167, 168, 272, 281, 282, 288, 303, 304 एवं 306**

तथा जिसकी चौहद्दी भिन्न प्रकार से है:---

उत्तरः- **अंश खेसरा नं0– 168, 167, 160, 159, 158, 272, 281, 282, 288, एवं पूर्ण खेसरा नं0–157, 156, 155**

पूरबः- **अंश खेसरा नं0 288**

दक्षिणः- **अंश खेसरा नं0 153, 154, 272, 288, 306, 304 एवं 303**

पश्चिमः- मुख्य सड़क (चेहरियां से ककरैत घाट सड़क)

यह अधिसूचना अधिनियम, 1,1894 की धारा -4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन्1961, संशोधित अधिनियम –1984) उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, **कैमूर (भभुआ)** में देखा जा सकेगा बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकरी, कैमूर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में।

तत्समण लगे **अधियाची विभाग** के पदाधिकरियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबंधित या विनिदिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते है।

उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5, के उपबन्ध लागू नहीं होतेः-

ह0

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अवर सचिव।

जिला भूमि अर्जन पदा० 3.09.13 | अपर समाहर्त्ता | समाहर्त्ता 6/9/13

ज्ञापांक...2974/रा0.../ **डी०एल०ए०,** **दिनांक**....18.12.13...../

प्रतिलिपिः- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण को जिला भूमि अर्जन कार्यालय,. **कैमूर** एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2-प्रतिलिपिः- उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाख, **कैमूर (भभुआ)**को जिला बजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित बजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, **कैमूर (भभुआ)** को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियों में भेजने के लिये।

3-प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, , **कैमूर (भभुआ)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/13

सरकार के अवर सचिव।